महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय, वर्धा
डॉ. बाबासाहेब अंबेडकर-सिदो-कान्हू-मुर्मू दलित एवं जनजातीय अध्ययन केंद्र
संस्कृती विद्यापीठ

ज्ञान शांति मैत्री

अध्ययन मंडल की (22 वीं) बैठक का कार्यवृत्त
दिनांक 26/08/2022

डॉ. बाबासाहेब अंबेडकर-सिदो-कान्हू–मुर्मू दलित एवं जनजातीय अध्ययन केंद्र के अध्ययन मंडल (BOS) की 22 वीं बैठक दिनांक 26/08/2022 (शुक्रवार) को 11.00 बजे प्रो. एल. कारूण्यकरा, निदेशक महोदय की अध्यक्षता में ऑनलाइन (गूगल मीट) तथा ऑफलाइन संस्कृति विद्यापीठ के गुर्रम जाशुवा सभागार में आयोजित हुई।
बैठक में निम्नानुसार उपस्थिति थी :

1) प्रो. एल. कारूण्यकरा, निदेशक - अध्यक्ष
2) प्रो. शक्ति कुमार, जे.एन.यू. नई दिल्ली, बाह्य विशेषज्ञ - सदस्य
3) प्रो. शशी कुमार, बाबासाहेब भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय. लखनऊ, बाह्य विशेषज्ञ - सदस्य
4) डॉ. किरन नामदेवराव कुंभरे, सहायक प्रोफेसर - सदस्य
5) श्री आकाश संजय खोब्रागडे, भूतपूर्व शोधार्थी - सदस्य

बैठक में निम्न विषयों पर निर्णय लिया गया है-

मद क्र. 01 : 21 वीं बैठक में सत्र 2020-21 के पी-एच.डी शोधार्थियों के पूर्व–पंजीकरण सेमिनार (Pre-registration seminar) के शोध प्रस्ताव की प्रस्तुति के अनुसार शोध विषय का निर्धारण किया गया था। शोध विषय के निर्धारण के पश्चात शोध विषय में पुनर्विलोकन के लिए सत्र 2020-21 के शोधार्थियों द्वारा प्राप्त आवेदन अवलोकनार्थ एवं निर्णयार्थ रखे गए।

क्र.स.	शोधार्थियों के नाम	शोध विषय
01	विजय श्रावण कुंभरे	'अनुसूचित जनजातियों के विकास हेतु सरकारी योजनाएं (1991 से 2021): महाराष्ट्र एवं मध्यप्रदेश का एक तुलनात्मक अध्ययन' 'Government schemes for the Development of Scheduled Tribes (1991 to 2021): A comparative study of Maharashtra and Madhya Pradesh.'
02	शशिकान्त भारती	'भारत में दलित संस्कृति की गतिशीलता का एक अध्ययन' 'A Study of Dynamics of Dalit Culture in India'
03	कल्पना देविदासजी बु-हाण	'महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में सरकारी संगठन एवं गैर सरकारी संगठन की एस.सी./एस.टी. के सामाजिक-आर्थिक विकास में भूमिका : एक तुलनात्मक अध्ययन' 'Role of Government Organizations and Non Government Organizations for the Socio-Economic Development of SC/ST in Maharashtra and Madhya Pradesh: A comparative study'
04	महेंद्र सिंह लोधी	'केंद्रीय विश्वविद्यालयों में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति विद्यार्थियों का प्रतिनिधित्व : बी.बी.ए.यू. एवं डिं.एच.एस.जी.एस.यू. का एक वैयक्तिक अध्ययन' 'Representation of SC/ST Students in Central University : A case study of BBAU and DHSGSU'

26/8/2022 26/08/2022

05	गौरव कुमार	'भारत में अनुसूचित जनजातियों का सामाजिक-आर्थिक विकास : छत्तीसगढ़ के बस्तर जिला का एक वैयक्तिक अध्ययन' 'Socio-Economic Development of Scheduled Tribes in India: A Case Study of Bastar District of Chhattishgarh'

निर्णय : उक्त शोधार्थियों के शोध विषयों को अनुमोदित किया गया।

मद क्र. 02 : दि. 01.08.2022 को हुई विभागीय शोध मॉनीटरिंग समिति (**DRMC**) की बैठक का कार्यवृत्त अध्ययन मंडल के समक्ष सूचनार्थ रखा गया। जिसमें सत्र 2020-21 के शोधार्थी श्री गौरव कुमार के अवकाश के आवेदन पर विचार किया गया। आवेदन में शोधार्थी ने 01 मई 2022 से 18 मई 2022 तक 11 दिन (कार्य दिवसों सहित) का सामान्य अवकाश लिया था। इस अवकाश के पश्चात शोधार्थी 19 मई 2022 से 30 जून 2022 तक 31 दिन अनुपस्थित रहा। पीएच-डी अध्यादेश के बिंदु सं. 16.1(a) के अनुसार पीएच.डी शोधार्थी 01 वर्ष में 30 दिन का सामान्य अवकाश ले सकते है। शोधार्थी द्वारा सामान्य अवकाश (11दिन) तथा अनुपस्थिति (31दिन) को मिलाकर 42 दिन का अवकाश होता है। 30 दिन को सामान्य अवकाश में परिवर्तन के पश्चात शोधार्थी 12 दिन अनुपस्थित रहा। पीएच.डी. अध्यादेश 16;1 (b) के अनुसार अध्ययन-मंडल 10 दिन के अतिरिक्त अवकाश दे सकता है। शोधार्थी को अध्ययन मंडल ने 10 दिन का अतिरिक्त अवकाश देने के पश्चात शोधार्थी का 02 दिन कि अनुपस्थिति अधिक होती है। (अनुलग्नक-I)

निर्णय: अध्ययन मंडल द्वारा विभागीय शोध मॉनीटरिंग समिति (**DRMC**) की बैठक के कार्यवृत्त को संज्ञान में लिया तथा शोधार्थी गौरव कुमार के आवेदन जो शोध निर्देशक द्वारा अग्रेषित किया गया था। इस पर विचार किया गया। शोधार्थी गौरव कुमार को अध्ययन मंडल के सामने अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर दिया गया। शोधार्थी गौरव कुमार को पीएच.डी. अध्यादेश बिंदु सं. 16:1 (b) के अनुसार 10 दिन का अतिरिक्त सामान्य अवकाश दिया गया तथा अतिरिक्त 02 दिन की अनुपस्थिति को मानवता के आधार पर सक्षम अधिकारी द्वारा माफ करने का अनुशंसा कि गयी।

मद क्र. 03 : पीएच.डी. कोर्स वर्क पाठ्यक्रम के 'आधारभूत शोध प्रविधी' (Fundamentals of Research Methodology) 04 क्रेडीट पाठ्यचर्या संरचना पर विचारार्थ एवं अनुमोदनार्थ रखा गया। (अनुलग्नक-II)

निर्णय : विचार के उपरांत अनुमोदित किया गया।

मद क्र. 04 : राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) - 2020 के अनुसरण में चयन आधारीत क्रेडिट प्रणाली (CBCS) के अंतर्गत अधिगम परिणाम आधारित पाठ्यचर्या-संरचना (LOCF) के अनुसार दलित एवं जनजातीय अध्ययन स्नातक/ स्नातक ऑनर्स (शोध-सहित) कार्यक्रम की 04 वर्षीय (08 सेमेस्टर) पाठ्यचर्या संरचना को 60 प्रतिशत मूल (Core) क्रेडिट एवं 40 प्रतिशत ऐच्छिक क्रेडिट प्रत्येक सेमेस्टर के अनुसार निर्माण करने हेतु विचार एवं अनुमोदनार्थ रखा गया। (अनुलग्नक-III)

निर्णय : विस्तार से चर्चा कर अनुमोदित किया गया।

धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक समाप्त हुई।

26/8/2022

प्रो. एल. कारूण्यकरा
अध्यक्ष

(ई-मेल द्वारा)
प्रो. शक्ति कुमार
सदस्य

(ई-मेल द्वारा)
डॉ. शशी कुमार
सदस्य

26/08/2022
डॉ. किरन नामदेवराव कुंभरे
सदस्य

(ई-मेल द्वारा)
श्री आकाश संजय खोब्रागडे
सदस्य